न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/35/2022

अपीलांट कोशलाराम जाखड़ पुत्र अजाराम जाखड़
निवासी ग्राम पोस्ट जाखड़ों का तला बिसारणिया जिला बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी धोरीमना

आदेश

दिनांक : 28.03.2022

अपीलार्थी कोशलाराम जाखड़ पुत्र अजाराम जाखड़ निवासी ग्राम पोस्ट जाखड़ों का तला बिसारणिया जिला बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता उपखण्ड अधिकारी धोरीमना के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 19.03.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की प्रति ऑनलाईन दिनांक 02.02.2022 का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी धोरीमना को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित समयावधि में अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है और इसके संबंध में इस न्यायालय के समक्ष अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपील कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन से संबंधित है।

हमने प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई है और सूचना उपलब्ध कराया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

अतः अपीलांट की यह अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी चौहटन को निर्देशित किया जाता है कि [illegible] के द्वारा यदि प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में नियत शुल्क अदायगी की जावे तो उसे वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवाते हुए प्रार्थना–पत्र का निस्तारण शीघ्र किया जावें। पत्रावली निर्णय [illegible] दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:16:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)